रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 271] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 19, 1971/चैत्र 29, 1893

No. 271] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 19, 1971/CHAITRA 29, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th April 1971

S.O. 1645.—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States consequent on election to the House of the People, of Shri Mohan Dharia a member elected to the Council of States by the elected member of the Legislative Assembly of the State of Maharashtra, before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Maharashtra to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before the 12th May, 1971.

[No. 100/CS-MT/4/71(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1645—यतः, महाराष्ट्र विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री मोहन धारिया के अपनी पदावधि के अवसान से पूर्व लोकसभा के लिए निर्वाचित हो जाने के कारण राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ।

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 12 मई, 1971 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित करें ।

[सं० 100/रा० स०-महा०/4/71(1).]

S.O. 1646.—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MT/4/71(1), dated the 19th April, 1971:—

(a) the 26th April, 1971 (Monday), as the last date for making nominations;

(b) the 27th April, 1971 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 29th April, 1971 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 7th May, 1971 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken: and

(e) the 12th May, 1971 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-MT/4/71(2)]

एस० ओ० 1646—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100।रा० स०।महा।4।71(1) तारीख 19 अप्रैल, 1971 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख—26 अप्रैल, 1971 (सोमवार)

(ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख—27 अप्रैल, 1971 (मंगलवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख—29 अप्रैल, 1971 (बृहस्पतिवार)

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो तारीख—7 मई, 1971 (शुक्रवार) मतदान होगा

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जायगा ।	12 मई, 1971 (बुधवार)

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/रा० स०-महा०/4/71 (2)]

S.O. 1647.—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 8-00 a.m. to 11-00 a.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MT/4/71(1), dated the 19th April, 1971.

[No. 100/CS-MT/4/71(3).]

एस० ओ० 1647.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स० महा०/4/71 (1) तारीख 19 अप्रैल, 1971 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 8 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियम करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा ।

[सं० 100/रा० स०-महा०/4/71 (3)]

S.O. 1648.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Maharashtra hereby designates Shri K. Sundaram, Deputy Secretary, Maharashtra Legislative Secretariat, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MT/4/71(1), dated the 19th April, 1971.

[No. 100/CS-MT/4/71(4).]

एस० ओ० 1648.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स० महा०/4/71 (1), तारीख 19 अप्रैल, 1971 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए श्री के सुन्दरम उप सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है।

[सं० 100/रा० स०-महा०/4/71 (4)]

S.O. 1649.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints Shri D. G. Gupta, Under Secretary, Maharashtra Legislative Secretariat, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MT/4/71(1), dated the 19th April, 1971, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-MT/4/71(5).]

By Order.

A. N. SEN, Secy.

एस० ओ० 1649.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स०—महा०/4/71 (1) तारीख 19 अप्रैल, 1971 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए श्री डी० जे० गुप्ते, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय को एतद्द्वारा नियुक्त करता है ।

[सं० 100/रा० स०—महा०/4/71 (5).]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971